

डॉ सुमीत जैरथ, आई.ए.एस.
सचिव
Dr. SUMEET JERATH, I.A.S.
Secretary



भारत सरकार
राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

अ.शा.पत्र सं.-11034/07/2021-रा.भा.(नीति)

दिनांक : 10 अगस्त 2021

आदर्शीय सौपय,

विषय : 14 सितंबर, 2021 में हिंदी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा/माह के आयोजन के संबंध में।

संदर्भ: कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/14034/2/87- रा.भा. (का.-1) दिनांक 21.04.1987 एवं 23.09.87 (संलग्न)

अपनी भाषा के प्रति लगाव और अनुराग राष्ट्र प्रेम का ही एक रूप है। हिंदी ने सभी भारतवासियों को एक सूत्र में पिरोकर सदैव अनेकता में एकता की भावना को पुष्ट किया है। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया। इस पावन दिवस की स्मृति में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई और यह दायित्व सौंपा गया कि केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों/मंत्रालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

2. संविधान सभा ने हम सबको यह संवैधानिक और प्रशासनिक उत्तरदायित्व सौंपा कि हम संविधान के अनुच्छेद 343 और 351 के अनुसार राजभाषा हिंदी का अधिकतम प्रयोग करते हुए प्रचार-प्रसार बढ़ाएं। अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।”

3. राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय केंद्र सरकार के कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों आदि में राजभाषा हिंदी के संवर्धन के लिए सदैव ऊर्जावान और निरंतर प्रयासरत है। अधिक से अधिक सरकारी कामकाज हिंदी में हो इसके लिए विभाग द्वारा सभी आवश्यक कदम

उठाए जा रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत : स्थानीय के लिए मुखर हों (Self Reliant India- Be vocal for local) के अभियान को आगे बढ़ाते हुए राजभाषा विभाग द्वारा सी-डेक पुणे के माध्यम से निर्मित स्मृति आधारित अनुवाद टूल 'कंठस्थ' के विस्तृत उपयोग पर जोर दिया जा रहा है जिससे अनुवाद के क्षेत्र में समय की बचत करने के साथ-साथ एकरूपता और उत्कृष्टता भी सुनिश्चित की जा सके। साथ ही बहुभाषी माध्यम से हिंदी स्वयं शिक्षण 'लीला सॉफ्टवेयर' के भी प्रचार-प्रसार का काम किया जा रहा है।

4. राजभाषा संकल्प 1968 के अनुसार हमें हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति को और तीव्र करना है, एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार करके, उसे कार्यान्वित करना है। अतः राजभाषा विभाग माननीय प्रधानमंत्री जी के स्मृति विज्ञान (Mnemonics) के प्रयोग से प्रेरणा लेते हुए 12 प्र (प्रेरणा, प्रोत्साहन, प्रेम, प्राइज(पुरस्कार), प्रशिक्षण, प्रयोग, प्रचार, प्रसार, प्रबंधन, प्रोन्नति, प्रतिबद्धता और प्रयास की रणनीति को लेकर अग्रसर हो रहा है।

5. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह राजभाषा अधिनियम 1963, नियमों तथा समय-समय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराएँ, इन प्रयोजनों के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच-बिंदु बनवाएँ और उपाय करें।

6. माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई पिछली केंद्रीय हिंदी समिति की बैठक में दिए गए निर्देशानुसार सामाजिक और सरकारी हिंदी के अंतर को कम करना है। आज ज़रूरत इस बात की भी है कि हम हिंदी को इसके सरल रूप में अपनाकर अपने सभी सरकारी कार्य हिंदी में करने को प्राथमिकता दें। हमें यह प्रण करना होगा कि हम अपने दैनिक कार्यों में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे, यही संविधान का सच्चा अनुपालन होगा। इस संदर्भ में प्रसिद्ध कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन हमें प्रेरित करता है कि 'आप जिस तरह बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसी तरह लिखा भी कीजिए; भाषा बनावटी नहीं होनी चाहिए।'

7. सरकार द्वारा कोरोना संबंधी जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए हिंदी दिवस-2021 के शुभ अवसर पर सितंबर, 2021 में हिंदी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा/माह का आयोजन/प्रतियोगिताएं ऊर्जा, उत्साह और उल्लास के साथ की जाएं।

8. 14 सितंबर हिंदी दिवस-2021 के अवसर पर राजभाषा प्रतिज्ञा लें ताकि हम संविधान द्वारा दिए गए दायित्वों का निर्वहन कर सकें। (राजभाषा प्रतिज्ञा संलग्न है)।

9. विगत वर्ष की भांति ही मंत्रालयों/विभागों में प्रदर्शन हेतु हिंदी विद्वानों/विशिष्ट व्यक्तियों की सूक्तियों के पोस्टर/बैनर/स्टैंडी आदि बनाए जाएं। कुछ सूक्तियां संलग्न हैं।

10. राजभाषा हिंदी के प्रचार व प्रसार को प्रभावी एवं व्यापक बनाने के लिए मंत्रालय/विभाग अपने अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं आदि को भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें। यह भी अनुरोध है कि इस संबंध में की गई कार्रवाई से राजभाषा विभाग को अवगत कराएं।

जय राज भाषा ! जय हिंद !

युक्त
सुमीत जैरथ
(डॉ. सुमीत जैरथ) 10/08/2021
सचिव, राजभाषा विभाग

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव/केंद्र सरकार के उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

विधि

272. का० जा० सं० 1/14034/2/87-रा० भा० (क-1) दिनांक 21-4-87

विषय:—हिन्दी दिवस/हिन्दी सप्ताह का आयोजन

मुख्य गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वार्षिक कार्यक्रम की ओर ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है। वार्षिक कार्यक्रम में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन कम्पनियों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए शामिल किये गये विभिन्न मर्कों में से एक मर्क वर्ष में एक बार हिन्दी दिवस या हिन्दी सप्ताह आयोजित करने से संबंधित है।

2. कुछ मंत्रालयों/विभागों द्वारा राजभाषा विभाग से यह अनुरोध किया गया है कि हिन्दी दिवस या हिन्दी सप्ताह मनाये जाने के संबंध में कुछ मार्गदर्शी निदेश जारी किये जाएं। इस विभाग में इस बात पर विचार किया गया है तथा यह निर्णय लिया गया है कि हिन्दी दिवस/हिन्दी सप्ताह के सिलसिले में नीचे दिये हुए कुछ कार्यक्रमों का आयोजन उक्त अवधि में किया जाए। ये कार्यक्रम सर्वांगीण नहीं हैं बल्कि उदाहरण के तौर पर हैं। विभिन्न मंत्रालय/विभाग/सम्बद्ध कार्यालय/अधीनस्थ कार्यालय/उपक्रम/बैंक/निगम आदि नीचे लिखे कार्यक्रमों के अलावा अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुसार और कार्यक्रमों के आधार पर हिन्दी दिवस/हिन्दी सप्ताह आयोजित कर सकते हैं :—

- (i) राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम, 1976, राजभाषा संकल्प 1968 तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये राजभाषा नीति संबंधी अनुदेशों से कर्मचारियों को परिचित कराना।
- (ii) सरकारी कार्य से संबंधित हिन्दी में टिप्पण, आलेखन, टंकण और आशुलिपि के अभ्यास के लिए कार्यक्रम आयोजित करना।
- (iii) हिन्दी में काम करने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उच्च पदाधिकारियों द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों की बैठक में अपील जारी करना। हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग संबंधी निर्देशों के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों पर भी इस बैठक में विचार-विमर्श किया जा सकता है।
- (iv) हिन्दी में काम बढ़ाने की दृष्टि से प्रचार सामग्री का वितरण तथा प्रदर्शन।
- (v) हिन्दी में प्रकाशित कार्यालयीन विषयों से संबंधित पुस्तकों, शब्दावलियों और पत्रिकाओं आदि की प्रदर्शनी आयोजित करना। इन प्रदर्शनियों में हिन्दी में हुए या हो रहे कामकाज के नमूनों जैसे हिन्दी में चैकों, ड्राइंगों, नोटिंग, चाटों आदि का भी प्रदर्शन किया जा सकता है। द्विभाषी इलैक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, वर्ड-प्रोसेसर, कम्प्यूटर आदि के प्रयोग का भी प्रदर्शन किया जा सकता है।
- (vi) अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए हिन्दी में आलेखन, टिप्पण, टंकण, आशुलिपि, भाषण, वादविवाद, निबंध, कविता-पाठ आदि प्रतियोगिताएं आयोजित करना।
- (vii) हिन्दी में सुवर्चिपूर्ण अभिनय, नाट्य, गीत आदि कार्यक्रम आयोजित करना।
- (viii) राजभाषा हिन्दी से संबंधित आवधिक रिपोर्टों के संबंध में अधिकारियों तथा कर्मचारियों को आवश्यक जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजित करना।
- (ix) हिन्दी में सराहनीय शासकीय कार्य करने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पुरस्कार, प्रमाणपत्र आदि प्रदान किया जाना।

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि राजभाषा हिन्दी में शासकीय कार्य को बढ़ावा देने से संबंधित कार्य कार्यालयीन कार्यों के ही अंग हैं। इसलिये जिस प्रकार मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/उपक्रम आदि द्वारा अन्य कार्यालयीन कार्यों के लिए खर्च की व्यवस्था की जाती है उसी प्रकार हिन्दी के राजभाषा के तौर पर उत्तरोत्तर प्रयोग से संबंधित कार्यों के लिए भी वे खर्च की व्यवस्था करेंगे।

4. केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त मार्गदर्शी अनुदेशों को अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों तथा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन कम्पनियों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के ध्यान में भी ला दें। इस संबंध में जारी किए गए अनुदेशों की प्रति इस विभाग को सूचनाार्थ भेज दें।

273. का० जा० सं० 1/14034/2/87-रा० भा० (क-1), दिनांक 23-9-87

विषय:—हिन्दी दिवस/सप्ताह का आयोजन

उपरोक्त विषय पर मुझे समस्त मंत्रालयों/विभागों का ध्यान इस विभाग के समसंबंधक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 21 अप्रैल, 1987 की ओर आकर्षित करने का निर्देश हुआ है जिसमें हिन्दी दिवस तथा हिन्दी सप्ताह आयोजित करने के संबंध में कुछ निर्देश जारी किये गये थे।

2. केन्द्रीय हिन्दी समिति की उप-समिति की 24 जून, 1987 को हुई बैठक में कुछ सदस्यों ने हिन्दी दिवस/हिन्दी सप्ताह मनाए जाने के सिलसिले में यह सुझाव दिया था कि हिन्दी दिवस 14 सितम्बर को ही मनाया जाए क्योंकि इसी तारीख को 1949 में संविधान सभा ने हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। सदस्यों का यह भी मत था कि हिन्दी सप्ताह भी इसी दिन से प्रारम्भ किया जाए तथा इन आयोजनों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार में लगी स्वयंसेवी संस्थाओं को भी सहयोजित किया जाए। इस विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रमों में अब तक इतना ही कहा जाता रहा है कि वर्ष में एक बार हिन्दी दिवस अथवा हिन्दी सप्ताह मनाया जाए। इसके लिए कोई निश्चित तिथि नहीं बताई जाती थी।

3. उपर्युक्त सुझावों पर इस विभाग में विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया है कि आगे से हिन्दी दिवस 14 सितम्बर को ही मनाया जाए तथा हिन्दी सप्ताह भी इसी दिन से प्रारम्भ किया जाए। यदि 14 सितम्बर अवकाश का दिन होता है तो उपरोक्त आयोजन इससे ठीक परवर्ती कार्य दिवस में किये जाएं। इन आयोजनों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार में लगी स्वयंसेवी संस्थाओं को भी सहयोजित किया जाए।

4. केन्द्रीय सरकार के समस्त मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्देशों को अपने सम्वद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन कम्पनियों/उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के ध्यान में ला दें।

5. इस संबंध में दिये गये निर्देशों की प्रति इस विभाग को भी सूचनाएं भेजें।

274. का० जा० सं० 20034/13/87-अ० वि० एकक, दिनांक 27-10-88

विषय:—केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद—परिषद के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए सरकारी कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक छुट्टी प्रदान किया जाना

ऊपर बताए विषय में मंत्रिमंडल सचिवालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग (अब कार्मिक, प्रशिक्षण, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय) के दिनांक 30 जून, 1976 के कार्यालय ज्ञापन सं० 28016/2/76-स्थापन (ख) द्वारा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए तथा विभिन्न बैठकों आदि से संबंधित कार्य करने के लिए उक्त ज्ञापन में उल्लिखित सीमा तक विशेष आकस्मिक छुट्टी दिए जाने का प्रावधान किया गया था। विशेष आकस्मिक छुट्टी का प्रावधान हिन्दी परिषद के कार्यक्रमों का, सरकार को राजभाषा नीति से संबंधित होने के कारण किया गया था। उक्त कार्यालय ज्ञापन को प्रतिलिपि साथ लगी है।

चूंकि भारत सरकार की राजभाषा नीति संबंधी सभी आदेश, निर्देश आदि भारत सरकार के स्वामित्व वाले और नियंत्रण में के सभी उपक्रमों, निगमों और आयोगों आदि पर लागू होते हैं इसलिए अब यह निर्णय किया गया है कि कार्मिक, प्रशिक्षण, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के दिनांक 30 जून, 1976 के का० ज्ञापन में किए गए प्रावधान उपर्युक्त सभी उपक्रमों और निगमों आदि पर भी लागू किए जाएं। इसलिए सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि वे अपने तहत सभी उपक्रमों आदि को 30 जून, 1976 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार उनके कर्मचारियों/अधिकारियों को केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए विशेष आकस्मिक छुट्टी संबंधी प्रावधान को लागू करने के लिए कहें।

का० जा० सं० 28016/2/76-स्थापना (ख), दिनांक 30-6-76

विषय:—केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद—परिषद के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए सरकारी कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक छुट्टी प्रदान किया जाना

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि यह प्रश्न विचाराधीन रहा है कि क्या केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए सरकारी कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक छुट्टी द्वारा कोई सुविधाएं प्रदान की जाएं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि परिषद के कार्यक्रमों का संबंध सरकार की राजभाषा नीति से है, विशेष रूप से यह निर्णय किया गया है कि परिषद

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
(सदैव ऊर्जावान ; निरंतर प्रयासरत)

राजभाषा प्रतिज्ञा

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 और 351 तथा राजभाषा संकल्प 1968 के आलोक में हम, केंद्र सरकार के कार्मिक यह प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने उदाहरणमय नेतृत्व और निरंतर निगरानी से; अपनी प्रतिबद्धता और प्रयासों से; प्रशिक्षण और प्राइज़ से अपने साथियों में राजभाषा प्रेम की ज्योति जलाये रखेंगे, उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे; अपने अधीनस्थ के हितों का ध्यान रखते हुए; अपने प्रबंधन को और अधिक कुशल और प्रभावशाली बनाते हुए राजभाषा- हिंदी का प्रयोग, प्रचार और प्रसार बढ़ाएंगे। हम राजभाषा के संवर्द्धन के प्रति सदैव ऊर्जावान और निरंतर प्रयासरत रहेंगे।

जय राजभाषा ! जय हिंद !

--

हिंदी भाषा से संबंधित सूक्तियां

1. राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है।
महात्मा गांधी
2. भाषा की सरलता, सहजता और शालीनता अभिव्यक्ति को सार्थकता प्रदान करती है। हिंदी ने इन पहलुओं को खूबसूरती से समाहित किया है।
नरेंद्र मोदी (प्रधानमंत्री)
3. भारतीय सभ्यता की अविरल धारा प्रमुख रूप से हिंदी भाषा से ही जीवंत तथा सुरक्षित रह पाई है।
अमित शाह (गृह मंत्री)
4. हिंदी भाषा एक ऐसी सार्वजनिक भाषा है, जिसे बिना भेद-भाव प्रत्येक भारतीय ग्रहण कर सकता है।
मदन मोहन मालवीय
5. हिंदी राष्ट्रीयता के मूल को सींचती है और उसे दृढ़ करती है।
पुरुषोत्तम दास टंडन
6. हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है।
सुमित्रानंदन पंत
7. हिंदी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है।
डॉ. संपूर्णानंद
8. भारतीय भाषाएं नदियां हैं और हिंदी महानदी।
रवीन्द्रनाथ ठाकुर
9. हिंदी जैसी सरल भाषा दूसरी नहीं है।
मौलाना हसरत मोहानी

10 हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है।

स्वामी दयानंद

11 समस्त भारतीय भाषाओं के लिए यदि कोई एक लिपि आवश्यक हो तो वह देवनागरी ही हो सकती है।

जस्टिस कृष्णस्वामी अय्यर

12 वही भाषा जीवित और जागृत रह सकती है जो जनता का ठीक-ठाक प्रतिनिधित्व कर सके और हिंदी इसमें समर्थ है।

पीर मुहम्मद मूनिस

13 देवनागरी ध्वनिशास्त्र की दृष्टि से अत्यंत वैज्ञानिक लिपि है।

रविशंकर शुक्ल

14 हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने मात्र विदेशी होने के कारण किसी शब्द का बहिष्कार नहीं किया।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

15 आप जिस तरह बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसी तरह लिखा भी कीजिए।
भाषा बनावटी नहीं होनी चाहिए।

महावीर प्रसाद द्विवेदी
